

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
नियम अनुभाग

प्रेषक :— शासन सचिव, वित्त (बजट)।

प्रेषिति :— निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेर विभाग
ज्योति नगर, राजस्थान, जयपुर।

Rules
3-9
25.6.2015

क्रमांक:— प. 12(3) वित्त/नियम/2010

जयपुर, दिनांक: 23 JUN 2015

विषय :— राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 67 के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04.09.2012 के तहत विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ :— आपकी अन्तरविभागीय एकल पत्रावली क्रमांक प. 5(223)नि.पे.वि./नियम/2014 पार्ट।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित एकल पत्रावली पर प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण वित्त (नियम) विभाग की पत्रावली क्रमांक प. 12(3) वित्त/नियम/2010 पर किया जाकर यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरणों का निस्तारण निम्नानुसार किया जावे:—

“Subject to fulfillment of other conditions laid down therein, the widowed/ divorced daughter of a Government servant/ Pensioner will be eligible for family pension with effect from the date of issue of respective orders irrespective of the date of death of the Government servant/ Pensioner. Consequently, financial benefits in such cases will accrue from the date of issue of respective orders. The eligibility for grant of family pension shall be adjudged in accordance with the provisions of rule 67 of RCS (Pension) Rules, 1996 on the date of grant of family pension”

अतः पेंशन विभाग में लम्बित सभी प्रकरणों में उक्तानुसार निस्तारण करने का श्रम करावे।

भवदीय

महेन्द्र सिंह भूकरे
संयुक्त शासन सचिव
21.06.2015

185761

